

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव,  
सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक- 24.7.14

विषय :- विभागीय स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-7440 दिनांक-10.05.2013 द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया था।

वर्तमान में कतिपय पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति/प्रोन्नति अथवा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त मनोनयन प्रभावित हो गया है। अतः पूर्व के एतदसंबंधी आदेशों को विलोपित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निम्नरूपेण किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	प्रतिस्थानी पदाधिकारी का नाम जो स्तम्भ-2 में वर्णित पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में भाग लेंगे।	आबंटित विभाग
1.	श्री राजेन्द्र राम, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	श्री दिनेश कुमार, उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।	1. गृह विभाग 2. सामान्य प्रशासन विभाग 3. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 4. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 5. आपदा प्रबंधन विभाग 6. विधि विभाग 7. परिवहन विभाग
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	श्री रामेश्वर प्रसाद दास, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	1. राज्यपाल सचिवालय 2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. संसदीय कार्य विभाग 4. खान एवं भूतत्व विभाग 5. वित्त विभाग 6. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 7. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार राम, विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	श्री सुदेश कुमार लाल, उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।	1. ग्रामीण कार्य विभाग 2. जल संसाधन विभाग 3. लघु जल संसाधन विभाग 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 5. भवन निर्माण विभाग 6. पथ निर्माण विभाग
4.	श्री अनिरुद्ध कुमार, विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।	श्री महेन्द्र भगत, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।	1. योजना एवं विकास विभाग 2. ग्रामीण विकास विभाग 3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 4. सूचना प्रावैधिकी विभाग

			5. उद्योग विभाग 6. नगर विकास एवं आवास विभाग 7. पंचायती राज विभाग
5.	श्री सुरेश पासवान, विशेष सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, (अति० प्रभार-सचिव, अनु०जाति आयोग) बिहार, पटना।	श्री जनक राम, उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	1. पर्यटन विभाग 2. गन्ना उद्योग विभाग 3. पर्यावरण एवं वन विभाग 4. सहकारिता विभाग 5. कृषि विभाग 6. पशु एवं मत्स्य संसाधन 7. उर्जा विभाग
6.	श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।	श्री शम्भू चौधरी, उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।	1. स्वास्थ्य विभाग 2. कला संस्कृति एवं युवा विभाग 3. शिक्षा विभाग 4. श्रम संसाधन विभाग 5. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 6. वाणिज्य-कर विभाग
7.	श्री अभय राज, विशेष सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना।	श्री अजीत कुमार राम, उप सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना।	1. निगरानी विभाग 2. निर्वाचन विभाग 3. समाज कल्याण विभाग 4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 5. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 6. लोकायुक्त कार्यालय

मनोनीत सदस्यों को आबंटित विभागों के विरुद्ध राजस्व पर्षद एवं बिहार लोक सेवा आयोग के राजपत्रित/अराजपत्रित बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थिति एवं हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है।

विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यवाही/नियम के साथ वांछित अभिलेख एक सप्ताहातर्गत निश्चित रूप से संबंधित मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए सीधे पत्राचार कर उनसे सम्पर्क किया जाय।

सामान्य तौर पर मनोनीत पदाधिकारी का सचिवालय स्थित किसी अन्य विभाग/निदेशालय/आयोग/प्राधिकार में स्थानांतरण/प्रोन्नति हो जाने पर भी यह मनोनयन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

मनोनीत सदस्य आरक्षण अधिनियम 3, 1992 के निहित प्रावधानों तथा अन्य संकल्प/परिपत्रों/आदेशों के अनुपालन में कार्य करेंगे। साथ ही आबंटित विभागों के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर गठित किसी अन्य समिति की बैठक में भी भाग लेने हेतु प्राधिकृत होंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र शर्मा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०नी०-11-01/2011 सा०प्र०

10186

पटना-15, दिनांक-

24.7.14

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव